न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–584 / 2026
N.T.P.C. थाना कांड संख्या–37 / 2026
अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 109, 74, 351(2), 351(3) 352 बीएनएस

03.08.2026 याचिकाकर्ता–1. नीरज कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–482 के अंतर्गत दिनांक–05.06.2026 को अग्रिम जमानत याचिका पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। जोकि, अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 109, 74, 351(2), 351(3) 352 बीएनएस से संबंधित N.T.P.C. थाना कांड संख्या–37 / 2026, दिनांक–27.05.2026, के नामित अभियुक्त हैं तथा इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि, आवेदक की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम जमानत याचिका या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष हैं, इनके द्वारा कथित अपराध–कारित नहीं किया गया है, इन्हें इस केस में गलत फंसाया गया है। जैसी घटना प्राथमिकी में बताई गई है, वैसी कोई घटना नहीं घटी है। उभयपक्षों के बीच सुलह हो गया है। दोनों पक्ष आपस में देवर एवं भौजाई हैं और इनके बीच पैसे को लेकर विवाद था, जो सुलह के द्वारा समाप्त किया जा चुका है। संधि–पत्र अभिलेख के साथ संलग्न है, इनके विरूद्ध बीएनएस की धारा–109 एवं 74 आकर्षित नहीं होता है, ये मामले को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे यह भी कहना है कि, यह वाद कांड दैनिकी न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए चला आ रहा है लेकिन पुलिस के द्वारा इस वाद में जान–बूझकर कांड दैनिकी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। यह जमानत आवेदन दिनांक–05.06.2026 से लंबित है, कांड दैनिकी नहीं दिए जाने के कारण इस न्यायालय द्वारा 'गिरफ्तारी पर रोक' कांड दैनिकी दिए जाने तक के लिए दिया गया था, इसके बाद भी आवेदक को गिरफ्तार किया गया और काफी मशक्कत के बाद एक दिन हाजत में रखने के बाद दूसरे दिन इन्हें मुक्त किया गया। इस वाद में आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि, आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया परंतु इस तथ्य से सहमति व्यक्त की गई है कि, उभयपक्षों के बीच संधि हो गई है और गिरफ्तारी पर रोक के बाद भी आवेदक को गिरफ्तार किया गया है और बाद में उसे हाजत से छोड़ा गया है।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, इस कांड की सूचिका–मानसी सिंह हैं, जिन्होंने अपने लिखित आवेदक में यह आरोप लगाया है कि, दिनांक–26.05.2026 को समय करीब 08.45 बजे सुबह में इनका देवर–नीरज कुमार इनके घर के कीचन में घुसकर गाली–गलौज करने लगा, मना करने पर वह गला दबाने लगा और जान मारने का प्रयास करने लगा, जब शोर–गुल सुनकर लोग बचाने आए, तब जान बचाए तभी पीछे से ईंट चलाया, जो सूचिका के सर पर लगा और वह जख्मी हो गई।

अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक–05.06.2026 से इस न्यायालय में सुनवाई–हेतु लंबित चला आ रहा है, जिसमें कांड दैनिकी एवं जख्म–प्रतिवेदन की मांग की गई है, जिसके लिए थानाध्यक्ष N.T.P.C. बाढ़ को पत्रांक–768, दिनांक–06.06.2026 के माध्यम से सूचित

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–584 / 2026
N.T.P.C. थाना कांड संख्या–37 / 2026
अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 109, 74, 351(2), 351(3) 352 बीएनएस

लगातार

03.08.2026

किया गया परंतु उनके द्वारा कांड दैनिकी एवं अपराधिक इतिहास तथा जख्म–प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया तत्पश्चात् पत्रांक–883, दिनांक–02.07.2026 से उनको 'स्मार–पत्र' भेजा गया, उसके बावजूद भी उनके द्वारा कांड दैनिकी, अपराधिक इतिहास एवं जख्म–प्रतिवेदन न्यायालय को प्राप्त नहीं कराया। पुनः, 'स्मार–पत्र' के द्वारा पत्रांक–939, दिनांक–16.07.2026 को उन्हें कांड दैनिकी, अपराधिक इतिहास एवं जख्म–प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया परंतु उनके द्वारा कांड दैनिकी, अपराधिक इतिहास एवं जख्म–प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। उभयपक्ष दिनांक–16.07.2026 को न्यायालय में उपस्थित हुए, उन्होंने आपस में सुलह की बात स्वीकार किया, जिसके आधार पर 'गिरफ्तारी पर रोक' कांड दैनिकी आने तक दिया गया परंतु आज–तक कांड दैनिकी न्यायालय को प्राप्त नहीं कराया गया है और इसी बीच आवेदक को गिरफ्तार कर 'रात–भर हाजत' में बंद करने की बात कही गई है, अभियोजन भी इस तथ्य से सहमत हैं। कांड दैनिकी, अपराधिक इतिहास और जख्म–प्रतिवेदन समर्पित नहीं किए जाने के कारण यह जमानत आवेदन लगातार दो माह से लंबित चला आ रहा है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा 'कांड दैनिकी एवं जख्म–प्रतिवेदन के अभाव' में आवेदक अभियुक्त–1. नीरज कुमार को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः, प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करते हुए आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर आवेदक के आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10,000 (दस हजार) रुपये के समतुल्य राशि के दो समान प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत धारा 482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शर्तों के अधीन याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत पर **मुक्त** करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही थाना अध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ता को कांड दैनिकी आज–तक न्यायालय को प्राप्त नहीं कराया गया है और 'गिरफ्तारी पर रोक' होने के बाद भी आवेदक को गिरफ्तार कर 12 घंटे तक अभिरक्षा में रखा गया, ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया, इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण आदेश प्राप्ति के दो दिनों के अंदर इस न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर दें कि, क्यों नहीं बीएनएस की सुसंगत धाराओं में आपके विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

इसकी प्रति D.G.P., Patna तथा S.S.P., Patna पटना को भी सूचनार्थ भेजें।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–584 / 2026
N.T.P.C. थाना कांड संख्या–37 / 2026
अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 109, 74, 351(2), 351(3) 352 बीएनएस

प्रतिलिपिः–

1. D.G.P., Patna एवं
2. S.S.P, Patna.

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़